निकायों की होगी अपनी पुलिस

नवीन कुमार मिश्र, पटना

शहरी इलाकों में अतिक्रमण से निपटने के लिए सरकार नई व्यवस्था पर विचार कर रही है। नगर निगम और नगर परिषदों की अब अपनी पुलिस होगी। सड़क हो बाजार या गलियां या फिर नक्शे का विचलन कर बने मकान, अतिक्रमण प्रशासन के लिए परेशानी की वजह हैं। मूल जिम्मा नगर निकायों का है, मगर वे साधन-संसाधन के अभाव में इसे हटाने में सफल नहीं हो पाते। इस समस्या को देखते हुए नगर निकायों के लिए संवर्ग पुनर्गठन के क्रम में विशेष ध्यान दिया गया है। अब थाना की तरह नगर निगम में पुलिस की टीम होगी। पुलिसकर्मी प्रतिनियुक्ति पर आएंगे मगर वेतन का खर्च निकाय को उठाना होगा।

जल्द होगा प्रभावी : जल्द ही चंद औपचारिकताएं पूरी करते हुए इसे प्रभावी किया जाना है। बढ़ती आबादी और आज की जरूरत को ध्यान में रखते हुए नगर निकायों के लिए संवर्ग का पुनर्गठन किया जा रहा है। इसके लिए नगर विकास विभाग के संयुक्त सचिव अरविंद कुमार सिंह की अध्यक्षता ■ शेष पृष्ठ 27 पर

अतिक्रमणकारियों से निपटेगी

- प्रतिनियुक्ति पर तैनाती, इंस्पेक्टर के नेतृत्व में रहेगी हथियारबंद पार्टी
- निगमों को ही उठाना होगा वेतन का खर्च
- गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी

नगर निगम की टीम

एक इंस्पेक्टर (टीम लीडर), एक दरोगा, 4 हथियारबंद पुलिसकर्मी और 8 लाठीधारी जवान

नगर परिषद की टीम

एक दरोगा (टीम लीडर), 4 हथियारबंद और 4 लाठीधारी जवान

अतिक्रमणकारियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन से पुलिस की मांग करनी पड़ती है। कई बार अनुरोध पर पुलिस आती है। समय पर न आ पाने से चुनौती और बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अपनी पुलिस की व्यवस्था की जा रही है।

– डा. प्रेम कुमार, नगर विकास मंत्री